

प्रपत्र-19

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1789/2015 के अर्न्तगत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अर्न्तगत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 13-8-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
1	आरक्षित वन भूमि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग													
2	सिविल सोयम			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग													
3	वन पंचायत भूमि	कमराड़	चीड़	-	10	5	11	4	-	-	-	-	30
		कमराड़	सिरस		5	7	3	-	-	-	-	-	15
योग					15	12	14	4					45
4	नाप भूमि	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग													
कुल योग					15	12	14	4					45

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। परियोजना में 0-10 व्यास वर्ग के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं है एवं 10-20 व्यास वर्ग के वृक्षों को अन्य स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उप जिलाधिकारी,
जिला अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी,
जिला अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी,
राजस्व विभाग,
जिला अल्मोड़ा

राजस्व विभाग,
जिला अल्मोड़ा

राजस्व विभाग,
जिला अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
जिला अल्मोड़ा